FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2021/517

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुन्झुनू

बनाम

1. **श्री मुरारी लाल पुत्र हरिराम मितल, मालिक विक्रेता एफबीओ मैसर्स ममता ट्रेडिंग कम्पनी सुरजगढ मण्डी, निवासी वार्ड नम्बर 04, सुरजगढ, जिला झुन्झुनू।**
2. **श्री नवल किशोर सैनी, निवासी वार्ड नम्बर 17, सुरजगढ, जिला झुन्झुनू**

प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 मुकदमा नम्बर 4 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23–12–2021	यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं सपठित नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.01.2022 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू	
18/1/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप। रेस्पोंडेन्ट नं. 1 व 2 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 14.2.2022 को पेश हो [signature] अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	[illegible]
14-2-2022	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अनावेदक नं. 1 व 2 उपस्थित। दीगर कार्य में व्यस्त होने से निर्णय [illegible] जा सका [illegible] निर्णय दिनांक 17-2-2022 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour

Date: 2022.03.16 12:54:01 IST

Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक एवं अनावेदक उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II)(V) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी दुकान से जो सरसों तेल (रूद्राक्ष) मिला था वह उसने अनावेदक संख्या 2 से जरिये पक्के बिल से खरीदा था। इस तेल के मिसब्रान्ड होने का जिम्मेदार अनावेदक संख्या 2 है। इसलिए अनावेदक संख्या 1 को धारा 26 (2)(II)(V) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1039/एक्ट/2021/1022/ दिनांक 07.09.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों तेल (रूद्राक्ष) का नमूना मिसब्रांड फूड (Misbranded Food) का होना पाया गया है, जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) (V) के उल्लंघन में आता है। चूकिं हस्तगत प्रकरण में अनावेदक नंबर 1 द्वारा अपने जवाब के साथ अनावेदक नंबर 2 से उक्त तेल क्रय करने के संबंध में बिल प्रस्तुत किया गया है जिससे उक्त मिसब्राण्ड फूड के लिए अनावेदक नंबर –2 दोषी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक को धारा 26 की उपधारा (2) (V) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक नंबर–2 श्री नवलकिशोर सोनी, मै0 सोनी एण्ड संस वार्ड नं. 17 सूरजगढ, निवासी वार्ड नं. 17 सूरजगढ, झुंझुनू को 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य स[illegible] निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में ज[illegible] [illegible] चालान की एक प्रति इस न्यायालय में [illegible] की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का कार्याल[illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.03.16 12:54:01 IST Reason: SelfAttested अति.जिला कलक्टर	